न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का टापरवाड़ा

बहक श्री गणपतलाल शिम्भूनाथ पि०
पुत्र श्री नाथुराम
जाति कुम्हार नि. निम्बोला

मुकदमा नं. 26 / 2017

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 07/09/2017

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम निम्बोला खसरा नम्बर 505 रकबा 0.0800 हैक्टर किस्म सिवायचक बा०3 (राजकीय भूमि) पर फसल खरीफ संवत 2074 में श्री गणपतलाल शिम्भूनाथ पि. पुत्र श्री नाथुराम जाति कुम्हार निवासी निम्बोला (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा मकान व बाड़ाबनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थीगण की ओर से शिम्भूनाथ व गणपतलाल का पुत्र राजूराम उपस्थित हुए। उनकी ओर से लिखित में जबाब पेश किया गया। जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम निम्बोला ख.न. 505 रकबा 0.0800 हे० किस्म सिवायचक बा०3 पर फसल खरीफ संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर मकान व बाड़ाबनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 3/- प्रति है० का 50 गुणा रूपया 1.00 रू० (रूपये एक रूपया जुर्माना) शास्ति कायम की जाती है।

क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का टापरवाड़ा भु. अभिलेख निरीक्षक रिडू एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये। निर्णय की

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/2017 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
जिला – नागौर (राज०)
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)